



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

समझौता-ज्ञापन वित्तीय वर्ष 2025-26 MoU FY 2025-26

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India



तथा
and

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Housing and Urban Development Corporation Limited



कोर-7ए, हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003, दूरभाष: 24649610-23, फैक्स: 24625308
Core 7-A, HUDCO BHAWAN, INDIA HABITAT CENTRE, LODHI ROAD, NEW DELHI-110003, Telephone: 24649610-23, Fax: 24625308

वर्ष 2025-26 हेतु समझौता ज्ञापन	
सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	
हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

स्कोप: समेकित

उद्देश्य, उत्तरदायित्व और गवर्निंग फ्रेमवर्क:

जैसा कि सीपीएसई के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु डीपीई के समझौता ज्ञापन फ्रेमवर्क में निर्धारित है।

वर्ष 2025-26 हेतु मापदण्ड-वार वार्षिक लक्ष्य

भाग- I: मुख्य मापदण्ड

क्र.सं.	मापदण्ड	इकाई	अंक	लक्ष्य 2025-26
1	प्रचालन से राजस्व	₹ करोड़	15	12420
2	ईबीटीडीए (कुल आय के प्रतिशत के रूप में)	%	10	35.90
3	निवल मूल्य पर प्राप्ति	%	10	15.61
4	प्रयुक्त पूंजी पर प्राप्ति	%	5	12.42
5	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात	%	5	10.50
6	कुल उपलब्ध निधियों के प्रति संवितरित ऋण	%	10	100.00
7	कुल ऋणों पर अतिदेय ऋण	%	10	1.97
8	कुल ऋणों पर एनपीए	%	10	0.35
9	समरूप रेटिंग वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संस्थाओं की तुलना में बॉन्ड्स के माध्यम से निधि अर्जित करने की लागत	बीपीएस	8	-7.85
10	जेम के माध्यम से खरीद (कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में)	%	2	65.00
11	शेयरधारकों को कुल रिटर्न	%	15	100.00
कुल			100	

वर्ष 2025-26 हेतु समझौता ज्ञापन

भाग- II: अनुपालन मापदण्ड

क्र.सं.	मापदण्ड	अंक	स्रोत/सत्यापन
1	सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशानिर्देश	- 1	प्रशासनिक मंत्रालय बोर्ड के प्रस्ताव/वार्षिक रिपोर्ट और डीपीई के सीएसआर सेल से प्राप्त इनपुट के आधार पर
2	कॉर्पोरेट संचालन पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों [अथवा सूचीबद्ध इकाइयों के मामले में सेबी (एलओडीआर) विनियम]: क. निदेशक मंडल का संयोजन ख. बोर्ड समितियाँ ग. बोर्ड और समितियों की बैठकें आयोजित करना घ. संबंधित पक्ष लेनदेन ड. प्रकटीकरण और पारदर्शिता	- 3.0	प्रशासनिक मंत्रालय, सीएजी/सांविधिक/सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर
3	सभी परिचालन टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर सीपीएसई को शामिल करना	- 0.5	एमएसएमई संबंध / टीआरईडीएस पोर्टल
4	एमएसएमईडी अधिनियम में निर्धारित एमएसई विक्रेताओं को समयोचित भुगतान	- 3.0	एमएसएमई समाधान/टीआरईडीएस पोर्टल/प्रशासनिक मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट/किसी अन्य प्रामाणिक स्रोत पर आधारित
5	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद (जैसे कुल खरीद का %), से: क. समग्र एमएसईएस – 25% ख. एससी/एसटी स्वामित्व वाले एमएसईएस – 4% ग. महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसईएस – 3%	- 2	एमएसएमई संबंध पोर्टल/वार्षिक रिपोर्ट/पीई सर्वेक्षण
6	सीपीएसईएस में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुधार हेतु उठाए गए कदम और पहल	- 1	बोर्ड के प्रस्ताव के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय [प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं]
7	एमसीए की पीएम इंटरनशिप योजना के अंतर्गत लक्ष्य	- 1	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और/या प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा बोर्ड के प्रस्ताव/वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर [साझीदार कंपनियों के रूप में भाग लेने वाले सीपीएसई पर लागू]
8	लीडरशिप डेवलपमेंट प्लान	- 1	डीपीई और/या प्रशासनिक मंत्रालय के संबंधित प्रभाग से इनपुट
9	अधिशेष गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों (भूमि एवं भवन) मुद्रीकरण योजना।	- 1	प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से डीपीई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजना प्रस्तुत की जाएगी।

वर्ष 2025-26 हेतु समझौता जापन

टिप्पणी :

- (i) अनुमानों/प्रक्षेपणों के आधार पर अंतिम रूप दिए गए लक्ष्य, लेखापरीक्षित आँकड़े प्राप्त होने पर डीपीई द्वारा संशोधन के अधीन होंगे।
- (ii) मापदण्डों (हानि/व्यय में कमी को छोड़कर) का मूल्यांकन लक्ष्य के 50% से 100% के बीच की उपलब्धियों के लिए आनुपातिक अंकन के आधार पर किया जाएगा। शेयरधारकों को कुल प्रतिफल मापदण्ड को छोड़कर, 50% से कम की उपलब्धियों को शून्य अंक दिए जाएँगे, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।
- (iii) समग्र अंक अनुपालन मापदण्डों को पूरा करने पर निर्भर होंगे। अनुपालन न करने पर, बिना किसी आंशिक या आनुपातिक कटौती के, दर्शाए गए अनुसार पूर्ण अंक काट लिए जाएँगे।
- (iv) विनिमय दर में परिवर्तन, कच्चे माल या तैयार माल की नियामक कीमतों या मार्जिन में कमी या किसी अन्य कारण से लक्ष्यों या उपलब्धियों में कोई समायोजन नहीं होगा।
- (v) पूंजीगत व्यय लक्ष्य बजट व्यय प्रोफाइल के विवरण 26 (सार्वजनिक उद्यमों में निवेश) के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। उपलब्धि के मूल्यांकन और अंक निर्धारण के लिए पूंजीगत परिव्यय के संशोधित अनुमानों को अंतिम लक्ष्य माना जाएगा, बशर्ते कि न्यूनतम लक्ष्य ₹100 करोड़ हो।
- (vi) शेयरधारकों को कुल प्रतिफल का लक्ष्य 100% निर्धारित किया गया है, जिसका मूल्यांकन समझौता जापन के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में गणना किए गए मानकों के आधार पर किया जाएगा।

संजय कुलश्रेष्ठ

श्री संजय कुलश्रेष्ठ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

श्री श्रीनिवास कटिकिथला

श्री श्रीनिवास कटिकिथला

सचिव

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय,

भारत सरकार

दिनांक : 25.08.2025

दिनांक : 25.08.2025

संजय कुलश्रेष्ठ / Sanjay Kulshrestha
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / Chairman & Managing Director
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Housing and Urban Development Corporation Ltd.
भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Enterprise
हडको भवन, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,
HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Lodhi Road,
नई दिल्ली / New Delhi - 110 003

श्रीनिवास कटिकिथला
Sriniwas R. Katikithala
सचिव / Secretary
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
Ministry of Housing and Urban Affairs
भारत सरकार / Govt. of India
निर्माण भवन, नई दिल्ली
Nirman Bhawan, New Delhi

Digitally Signed By: Housing and Urban
Development Corporation Ltd.

Date: 19-08-2025

03:02 pm

Digitally Signed By: Ministry of
Housing & Urban Affairs

Date: 25-08-2025

03:06 pm